न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 300/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

पूनमचन्द वगैरा बनाम केवाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

उपस्थित प्रार्थीगण वकील – श्री सुरताराम मेघवाल

उपस्थित विप्रार्थीगण वकील – एकतरफा

निर्णय दिनांक – **04.04.2018**

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित हुए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण मौजा पोशाल, पटवार हल्का बीजराड़, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 468 रकबा 30.00 बीघा भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की नेखमबन्दी करना न्यायोचित रहेगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा पोशाल, पटवार हल्का बीजराड़, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 468 रकबा 30.00 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।

कमीश्नर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा पोशाल, पटवार हल्का बीजराड़, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 468 रकबा 30.00 बीघा भूमि के पड़ौसी समस्त खातेदारों एवं पक्षकरों को नोटिस तामील कराते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो विधिसम्मत तरीके से मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाने से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी,चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ दिनांक

प्रार्थीगण :-

1.पूनमचन्द पुत्र चेतन ना.बा.जरिये कुदरती वलिया माता कमला बेवा चेतन
2.मूला पुत्र बींजा 3.खातू बेवा बींजा जातियान मेघवाल, निवासी पोशाल तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.केवाराम 2.लूणाराम पि.आदूराम जाति गुरू निवासी तमाची की गफन 3.हरचन्दराम 4.पुरखाराम 5.कलाराम पि. नारणाराम 6.दलाराम पुत्र वीरमाराम 7.रामाराम 8.जोगाराम पि.जगमालराम 9.पूर्णाराम 10.विरधाराम पि. हरजीराम 11.चन्द्रा पुत्री नारणाराम 12.तीजा पत्नि नारणाराम 13.केसी पत्नि लिछमणाराम जाति जाट, निवासी पोशाल 14.हनीफ पुत्र जगमालखान 15.एहदी पुत्र अजीम जाति मुसलमान, निवासीयान तमाची की गफन, तहसील चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 300/2017 दिनांक : 04.04.2018

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा पौशाल के खेत खसरा सं. 468/11 रकबा 30.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमी की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

मौका कमिश्नर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है | कमिश्नर फीश प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे | नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चोहटन

क्रमांक/भू.अ./2018/389 to 392 दिनांक 5.4.18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण पूनमचन्द वगैरा
3. विप्रार्थीगण केवाराम वगैरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

उपखण्ड अधिकारी
चोहटन